

राजस्व प्रार्थना पत्र 7/2024

जीसीएमएसम नंबर 2024/27

बिलाराम पुत्र करणाराम बनाम सरकार

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि बिलाराम एवं धर्माराम दोनो एक ही व्यक्ति है।


अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम लूणसरा के खाता संख्या 962 में दर्ज सहखातेदार नाम धर्माराम पुत्र करणाराम के स्थान पर वास्तविक नाम बिलाराम उर्फ धर्माराम पुत्र करणाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- :: आदेश :: -

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम लूणसरा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 962 में वर्णित खसरान् में दर्ज नाम धर्माराम पुत्र करणाराम के स्थान पर बिलाराम उर्फ धर्माराम पुत्र करणाराम दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.11.24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल